2020 का विधेयक सं.15

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 36 की धारा 35 का संशोधन.- राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 36) की विद्यमान धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> **"35. ऐसे भिखारी के संबंध में किस प्रकार कार्यवाही की जाये जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है.-** जहां पुनर्वास गृह के अधीक्षक या किसी पुनर्वास अधिकारी को, राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रथमदृष्ट्या या सरसरी तौर पर चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि पुनर्वास गृह में भर्ती करने के लिए उसके समक्ष लाया गया भिखारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वह ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास गृह में रखने के बजाय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) के उपबंधों के अनुसार मनो-चिकित्सालय में रखे जाने के लिए समुचित कदम उठा सकेगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 की विद्यमान धारा 35 यह उपबंधित करती है कि यदि पुनर्वास गृह के अधीक्षक या किसी पुनर्वास अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि पुनर्वास गृह में भर्ती करने के लिए उसके समक्ष लाया गया भिखारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है या कुष्ठरोगी है तो वह ऐसे व्यक्ति को मनो-चिकित्सालय या कुष्ठाश्रम में रखे जाने के लिए कदम उठायेगा।

विधि सेंटर फॉर लीगल पालिसी बनाम यूनियन आफ इण्डिया और अन्य के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कुष्ठ रोग कोई संचारी रोग नहीं है और इस रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के कलंक या भेदभाव का बर्ताव नहीं किया जाये। उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और राज्य सरकार को उन उपबंधों, जिनमें कुष्ठ रोग को कलंकित दिव्यांगता के रूप में माना गया है, के निरसन के संबंध में उठाये गये कदमों के बारे में अवगत करवाने हेतु निदिष्ट किया है।

कुष्ठरोग से पीड़ित भिखारियों के साथ अन्य भिखारियों के समान बर्ताव करने के लिए अधिनियम की धारा 35 के विद्यमान उपबंधों को संशोधित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 36) की धारा 35 यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 36) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

35. ऐसे भिखारी के संबंध में किस प्रकार कार्यवाही की जाये जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या कुष्ठरोगी है.- जहां पुनर्वास गृह के अधीक्षक या किसी पुनर्वास अधिकारी को, राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रथमदृष्ट्या या सरसरी तौर पर चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि पुनर्वास गृह में भर्ती करने के लिए उसके समक्ष लाया गया भिखारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है या कुष्ठरोगी है तो वह ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वास गृह में रखने के बजाय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) या कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 (1898 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) के उपबंधों के अनुसार मनो-चिकित्सालय या कुष्ठाश्रम में रखे जाने के लिए समुचित कदम उठायेगा।

XX XX XX XX XX

Bill No. 15 of 2020

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN REHABILITATION OF BEGGARS OR INDIGENTS (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 36 of 2012.- For the existing section 35 of the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Act, 2012 (Act No. 36 of 2012), the following shall be substituted, namely:-

"**35. A Beggar who is mentally ill, how to be dealt with.-**Where it appears to the Superintendent of Rehabilitation Home or a Rehabilitation Officer after getting due *prima facie* or cursory medical examination done from a Government Medical Officer that the beggar brought before him for admission to the Rehabilitation Home is mentally unsound, he may, instead of keeping such a person in the Rehabilitation Home take appropriate steps for confining such persons to Psychiatric Hospital as per provisions of Mental Health Act, 1987 (Central Act No. 14 of 1987).".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The existing section 35 of the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Act, 2012 (Act No. 36 of 2012) provides that if it appears to the Superintendent of Rehabilitation Home or a Rehabilitation officer that beggar brought before him for admission to the Rehabilitation Home is mentally unsound or leper, he shall take steps for confining such person to Psychiatric Hospital or Lepers Asylum.

It has been held by Hon'ble the Supreme Court of India in the case of Vidhi Centre for Legal policy v/s Union of India and others that Leprosy is not communicable disease and not to treat any person suffering from that disease with any kind of stigma or discrimination. The Supreme Court has directed the Union of India and State Government to apprise it about the steps taken with regard to the repeal of the provisions wherein Leprosy has been treated as stigmatic disability.

To treat beggars suffering from leprosy at par with other beggars, the existing provisions of section 35 of the Act are required to be amended. Accordingly, section 35 of the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Act, 2012 (Act No. 36 of 2012) is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

मास्टर भंवरलाल मेघवाल,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN REHABILITATION OF BEGGARS OR INDIGENTS ACT, 2012

(Act No. 36 of 2012)

XX XX XX XX XX XX XX

35. A Beggar who is mentally ill or is a leper, how to be dealt with.- Where it appears to the Superintendent of Rehabilitation Home or a Rehabilitation Officer after getting due *prima facie* or cursory medical examination done from a Government Medical Officer that the beggar brought before him for admission to the Rehabilitation Home is mentally unsound or leper, he may, instead of keeping such a person in the Rehabilitation Home take appropriate steps for confining such persons to Psychiatric Hospital or Lepers Asylum as per provisions of Mental Health Act, 1987 (Central Act No. 14 of 1987) or the Lepers Act, 1898 (Central Act No. 3 of 1898).

XX XX XX XX XX XX XX

2020 का विधेयक सं.15

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 15 of 2020

THE RAJASTHAN REHABILITATION OF BEGGARS OR INDIGENTS (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Act, 2012.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

(**Master Bhanwarlal Meghwal**, **Minister-Incharge**)